

Indian Hotspots

- भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट:
 1. हिमालय
 2. इंडो-बर्मा क्षेत्र
 3. पश्चिमी घाट
 4. सुंडालैंड
- इनमें से कोई भी हॉटस्पॉट पूर्ण रूप से भारतीय क्षेत्र के भीतर नहीं आता है।

27



Indian Hotspots

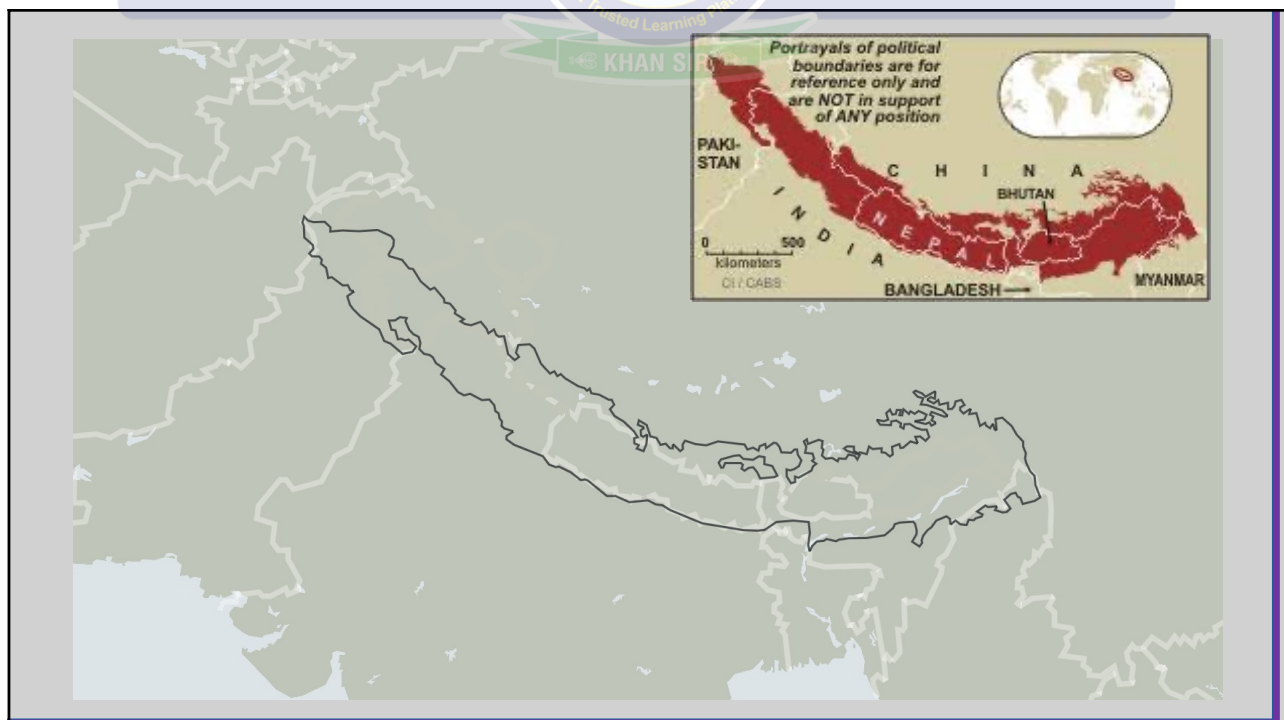


28

The Himalayas

- स्थान: इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वोत्तर भारतीय राज्य, साथ ही भूटान, नेपाल, और तिब्बत शामिल हैं।
- पड़ोसी देश: चीन, नेपाल, और भूटान।
- विशिष्टता: विश्व की सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला।
- वनस्पति: 10,000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ, जिनमें रोडोडेंड्रॉन, ऑर्किड, और ओक्स शामिल हैं।
- विशिष्ट वनस्पति उदाहरण: नीला पोस्ता (*Meconopsis grandis*)
- जीव जंतु: विविध वन्यजीव, जैसे हिम तेंदुआ, लाल पांडा, और हिमालयी तहर।
- स्थानिक प्रजातियाँ: 3,160 पौधों की प्रजातियाँ, हिमालयी यव (*Taxus wallichiana*)
- खतरे: वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, आवास विखंडन, और शिकार।

29

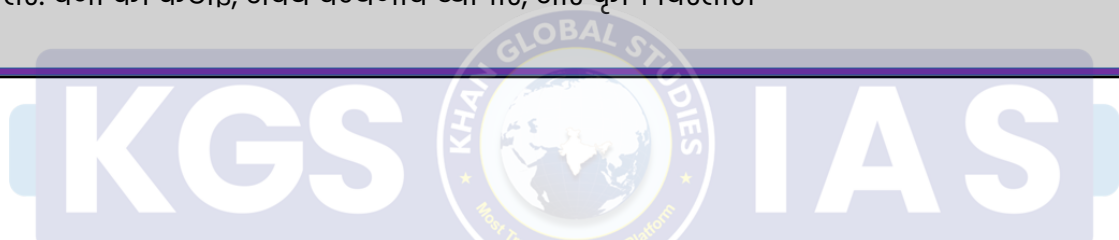


30

Indo-Burma

- स्थान: इसमें मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और असम के कुछ हिस्से शामिल हैं।
- पड़ोसी देश: म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, और चीन।
- विशिष्टता: पृथ्वी के सबसे जैवविविध क्षेत्रों में से एक।
- वनस्पति: घने उष्णकटिबंधीय वन, जिनमें बांस, सागवान, और बेंत शामिल हैं।
- विशिष्ट वनस्पति उदाहरण: अम्हेस्टिया नोबिलिस (ऑर्किड वृक्ष)
- जीव जंतु: वन्यजीवों में समृद्ध, जिनमें बाघ, हाथी, और गिबबन शामिल हैं - हूलॉक गिबबन (Hoolock hoolock)
- स्थानिक प्रजातियाँ: अनेक पौधों और जानवरों की प्रजातियाँ जो कहीं और नहीं पाई जातीं। स्थानिक प्रजाति उदाहरण: खासी पाइन (Pinus kesiya)
- खतरे: वनों की कटाई, अवैध वन्यजीव व्यापार, और कृषि विस्तार।

31



32

Sundaland

- स्थान: निकोबार द्वीपसमूह
- पड़ोसी देश: इंडोनेशिया, मलेशिया, और फिलीपींस
- विशिष्टता: समृद्ध स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र
- वनस्पति: पौधों की प्रजातियों की उच्च विविधता, जिनमें मैंग्रोव, पाम, और डिप्टेरोकार्प शामिल हैं
- वनस्पति उदाहरण: अंडमान पादाउक (*Pterocarpus dalbergioides*)
- जीव जंतु: पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों और समुद्री जीवन की कई प्रजातियाँ
- जीव जंतु उदाहरण: अंडमान डे गेको (*Phelsuma andamanensis*)
- स्थानिक प्रजातियाँ: उच्च स्तर की स्थानिकता, जिसमें द्वीपों की कई अद्वितीय प्रजातियाँ शामिल हैं
- स्थानिक प्रजाति उदाहरण: अंडमान मास्कड आउल

33



34

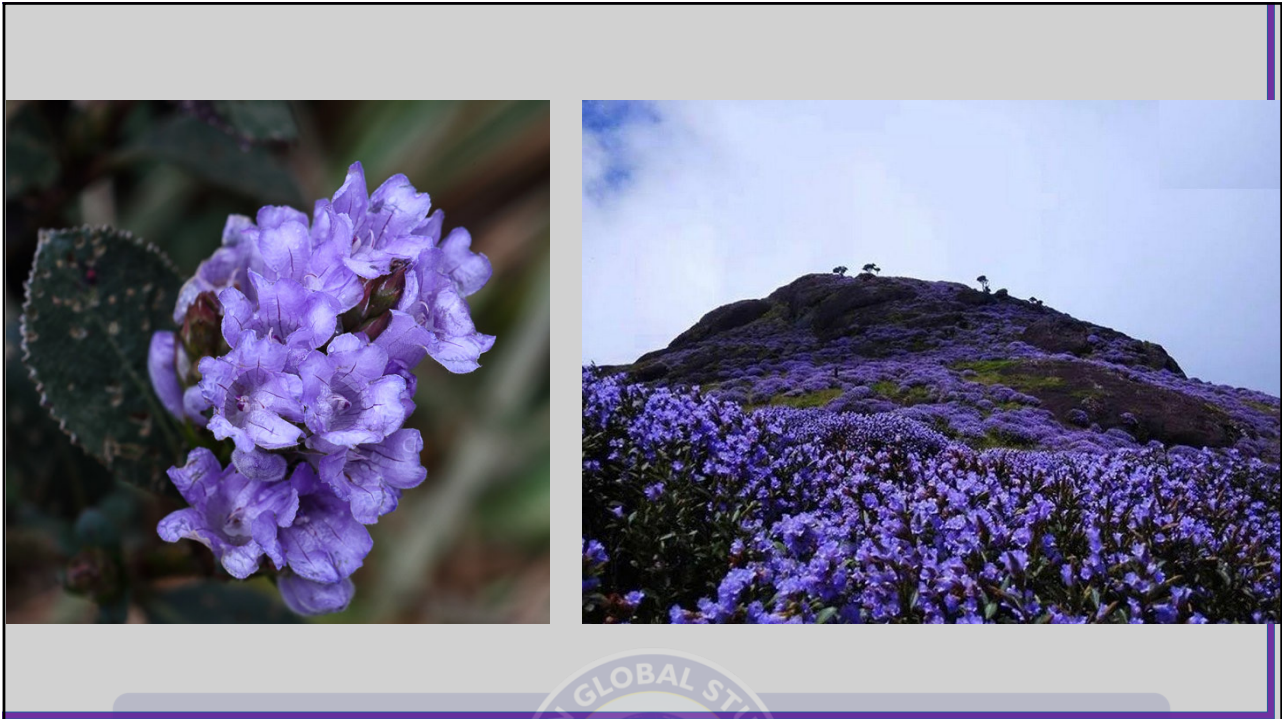
Western Ghats

- स्थान: यह भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलता है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, और तमिलनाडु राज्य शामिल हैं।
- पड़ोसी देश: श्रीलंका
- विशिष्टता: दुनिया के दस "सबसे गर्म जैव विविधता हॉटस्पॉट" में से एक।
- वनस्पति: समृद्ध वनस्पति के साथ सदाबहार और पर्णपाती वन, और "शोला" नामक अद्वितीय घास के मैदान। वनस्पति उदाहरण: नीलकुरिंजी (*Strobilanthes kunthianus*)
- जीव जंतु: भारतीय हाथी, बंगाल टाइगर, और सिंहपूछ मकाक (*Macaca silenus*), नीलगिरी तहर के घर।
- स्थानिक प्रजातियाँ: उच्च स्तर की स्थानिकता, जिसमें कई अद्वितीय प्रजातियाँ शामिल हैं। स्थानिक प्रजाति उदाहरण: नीलगिरी तहर (*Nilgiritragus hylocrius*)
- खतरे: वनों की कटाई, आवास हानि, प्रदूषण, और जलवायु परिवर्तन।

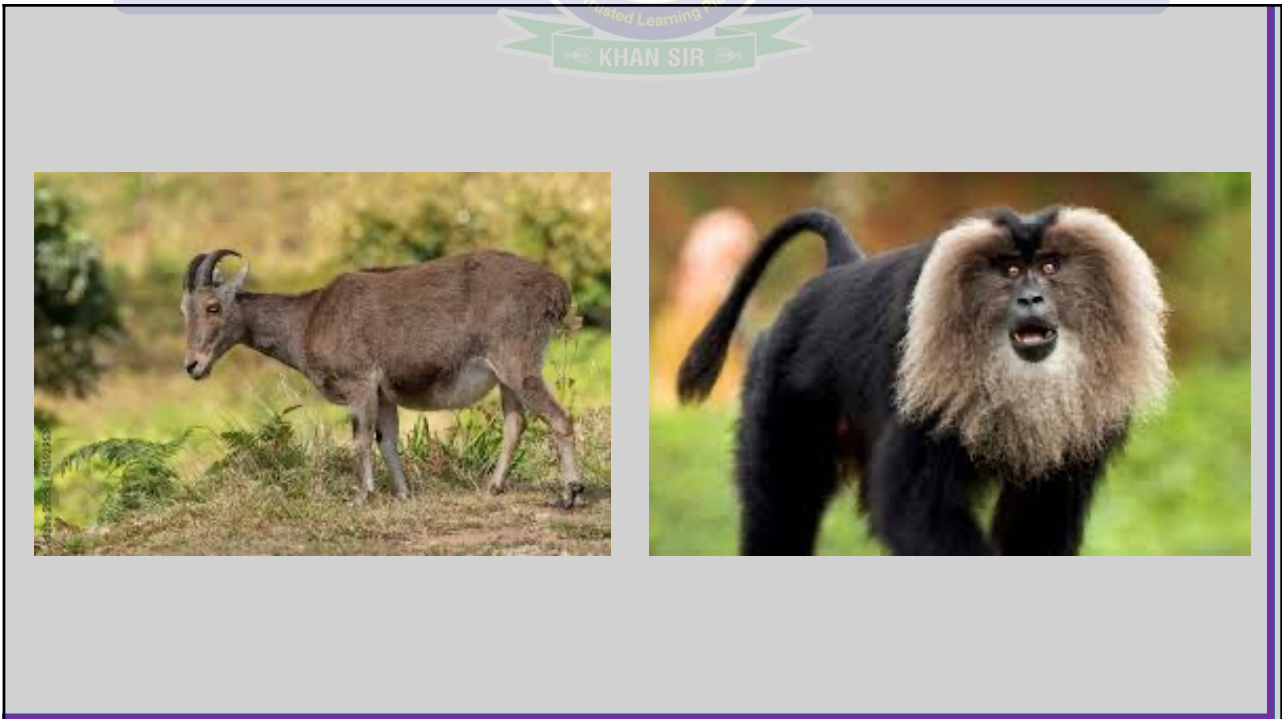
35



36



37



38

पश्चिमी घाटों का महत्व

- दुनिया के जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त।
- भारत में पाए जाने वाले सभी पौधों, मछलियों, सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों और स्तनधारियों की प्रजातियों का 30% से अधिक यहां पाया जाता है।
- कई प्रजातियाँ इस क्षेत्र के लिए स्थानिक हैं।

39

पश्चिमी घाटों का महत्व

जल संसाधन

- कई नदियों के लिए प्रमुख जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।
- प्रायद्वीपीय भारतीय राज्यों में लगभग 245 मिलियन लोगों को पानी प्रदान करता है।
- गोदावरी, कावेरी और कृष्णा जैसी प्रमुख नदियाँ पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती हैं।
- भारत में मानसूनी मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है।
- इसकी पश्चिमी ओर ओरोग्राफिक वर्षा होती है, जो क्षेत्रीय कृषि और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।

40

पश्चिमी घाटों का महत्व

- कृषि, वानिकी और पर्यटन के माध्यम से आजीविका का समर्थन करता है।
- इसमें कई औषधीय पौधे और खाद्य सुरक्षा और पारंपरिक चिकित्सा के लिए आवश्यक आनुवंशिक संसाधन होते हैं।

41



पश्चिमी घाटों पर खतरा

1. वनों की कटाई और आवास की हानि
2. तीव्र शहरीकरण, सड़क और रेलवे निर्माण और पर्यटन विकास से आवासों का विखंडन
3. खनन से मृदा अपरदन, जल प्रदूषण और वन आवरण की हानि होती है, जिससे स्थानीय वनस्पति और जीव प्रभावित होते हैं।
4. जलवायु पैटर्न में परिवर्तन से नाजुक पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होते हैं, विशेष रूप से वे उभयचर प्रजातियाँ जो पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं।
5. गैर-स्वदेशी प्रजातियों का परिचय, स्वदेशी पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करता है, जिससे स्थानिक प्रजातियों को खतरा होता है।

42

पश्चिमी घाटों पर बनी समितियों

1. 2010: माधव गाडगिल समिति
2. 2012: कस्तूरिंगण समिति
3. 2013: Oommen V. Oommen Committee

43



2010: माधव गाडगिल समिति WGEEP

1. पूरे क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESA) के रूप में नामित करने का प्रस्ताव किया।
2. पश्चिमी घाट के 64% हिस्से को तीन पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों (ESZ 1, 2, और 3) में वर्गीकृत किया।
3. ESZ 1 में अधिकांश विकासात्मक गतिविधियों को रोकने, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों, प्लास्टिक बैग और नए हिल स्टेशनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की।
4. स्थानीय अधिकारियों को अधिक शक्तियाँ देकर निचले स्तर से ऊपर की ओर दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया।
5. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की।

44

2012: कस्तूरिंगण समिति

1. WGEEP रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए 2012 में गठित।
2. संरक्षण के लिए उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अन्य क्षेत्रों में स्थायी विकास की अनुमति देने के लिए संतुलित दृष्टिकोण की सिफारिश की।
3. पश्चिमी घाट के ESA क्षेत्र को 37% (लगभग 60,000 वर्ग किमी) तक कम कर दिया।
4. सांस्कृतिक (58% - मानव बस्तियाँ, कृषि क्षेत्र) और प्राकृतिक परिदृश्यों के बीच अंतर किया।

45

2012: कस्तूरिंगण समिति

5. ESA में खनन, पत्थर की खुदाई, और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव दिया।
6. ESA में वर्तमान खनन क्षेत्रों को पांच वर्षों के भीतर समाप्त करने का सुझाव दिया।
7. ताप विद्युत संयंत्रों पर प्रतिबंध लगाने और जलविद्युत परियोजनाओं को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की।
8. ESA में अत्यधिक प्रदूषणकारी (लाल श्रेणी) उद्योगों पर प्रतिबंध का सुझाव दिया।
9. आबाद क्षेत्रों और बागानों को ESA के दायरे से बाहर रखा।

46

2013: Oommen V Oommen Committee

1. केरल सरकार द्वारा कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के निहितार्थों का अध्ययन करने और स्थानीय चिंताओं को दूर करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित।
2. सिफारिशों और स्थानीय समुदायों पर उनके प्रभाव का परीक्षण किया।
3. पर्यावरण संरक्षण और विकासात्मक आवश्यकताओं के सामंजस्य के उद्देश्य से गठित।
4. पर्यावरणीय रूप से नाजुक भूमि (EFL) खंडों में परिवर्तन की सिफारिश की।
5. कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के आधार पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को रोकने का सुझाव दिया।
6. आबाद क्षेत्रों और बागानों को ESA से बाहर करने का प्रस्ताव दिया।

